राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि / 2020 पार्ट–13397   जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

–:आदेश:–

उदयपुर मास्टर प्लान की विकास प्रोत्साहन एवं नियन्त्रण उपविधियां (DPCR) में वृक्षारोपण भू–उपयोग हेतु निर्धारित किये गये प्रावधान अनुसार अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 को जारी विकास डीपीसीआर में वृक्षारोपण पट्टी भू–उपयोग में अन्य भू–उपयोग / गतिविधि अनुमत / अनुमति योग्य किये जाने के संबंध में निम्नानुसार नवीन प्रावधान (तालिका–11) जोड़े जाते हैं:–

तालिका–11 वृक्षारोपण (Plantation)

(क) मुख्य भू–उपयोग / गतिविधि जो कि सीधे ही अनुमत (Permitted) है

क्र.सं.	भू–उपयोग / गतिविधि	तकनीकी मानदण्ड
1.	राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार की भूमि पर जनउपयोगी सुविधाएं यथा पब्लिक यूटिलिटी, ग्रिड सब–स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, पुलिस चौकी / थाना, कवर्ड पाथ–वे, यूटिलिटी (टॉयलेट आदि), आगन्तुको के बैठने हेतु छतरियां, केफेटेरिया, चौकीदार रूम, रख–रखाव कार्यालय आदि।	अनुमत गतिविधियों के निर्माण हेतु मापदण्ड • भू–आच्छादन–10 प्रतिशत अधिकतम • भवन की उंचाई–8 मी. अधिकतम • मंजिल – भूतल
2.	हरित क्षेत्र व सघन वृक्षारोपण	• शेष 90 प्रतिशत भाग में से 45 प्रतिशत भाग पर हरित क्षेत्र व शेष 45 प्रतिशत भाग पर सघन वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रखा जाना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.22 15:47:58 IST
Reason: Approved

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
9. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त————————————————————।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.22 15:47:58 IST
Reason: Approved